न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 03/2010 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. चिरंजी पुत्र श्री किशन जाति रैबारी,
2. रामकिशन पुत्र श्री चिरजी जाति रैबारी निवासीयान रैबारी बास तन बालेटा तहसील व जिला अलवर ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र श्री भागचन्द जाति रैबारी,
2. मैदा पुत्र श्री भागचन्द जाति रैबारी,
3. हरीसिंह पुत्र श्री भागचन्द जाति रैबारी निवासीयान रैबारी बास तन बालेटा तहसील व जिला अलवर ।
4. भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री कृष्ण कुमार रायजादा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.01.2019

यह अपील विद्वान जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दि0 15.09.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी अलवर अध्यक्ष भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर के आदेश दि0 30.12.2000 जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को आराजी ख0 नं0 3256 रकबा 62 ऐयर वाके ग्राम बालेटा तहसील अलवर का आवंटन किया गया था, को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । तहत न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 15.09.2008 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 खारिज करते हुए भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर का आदेश दि0 31.12.2000 बहाल रखा जाता है जिस निर्णय दिनांक 15.09.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

18/1/19

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों का अवलोकन कराया और कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि0 15.09.2008 के खिलाफ अपील पेश की है जिसमें प्रार्थी ही यहां अपीलांट है । रेस्पो0 अप्रार्थी को दि0 30.12.2000 को आराजी ख0 नं0 3256 रकबा 62 ऐयर ग्राम बालेटा में आवंटन हुआ है । साबिक ख0 नं0 1432 रकबा 14.07 बीघा सम्वत् 2051 के बन्दोबस्त में ख0 नं0 3256 है । ख0नं0 1432 रकबा 14.07 बीघा पर अपीलांट का कब्जा था । आवंटन से पूर्व अपीलांट के कब्जे की गिरदावरी व नोटिस धारा 91 एल.आर.एक्ट अपीलांट के पक्ष में है । अप्रार्थी ने गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था उसमें मौका कमिश्नर नियुक्त हुआ जिसकी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें मौके पर अपीलांट का कब्जा माना है । अतः गैर खातेदारी से खातेदारी नहीं दी जा सकती है । एक प्रार्थना पत्र अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी अलवर को भी दिया जिसमें अपीलांट का कब्जा माना । अतः खातेदारी नहीं दी जा सकती है । उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली तहत न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न है उस पर भी रिपोर्ट दि0 23.10.2005 है । आवंटी का मौके पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अपीलांट ने तहत न्यायालय में दस्तावेज किता 13 पेश किये इसमें धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस अपीलांट के विरूद्ध है । अतिक्रमण की रसीदें है । आवंटन से पूर्व अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस हैं । वक्त आवंटन अपीलांट को बेदखल नहीं किया है तथा अपीलांट का कब्जा था । अधीनस्थ न्यायालय ने संलग्न दस्तावेजात का कोई विवेचन नहीं किया और मौके के विपरीत निर्णय पारित किया है । यदि तहत न्यायालय द्धारा उक्त दस्तावजात का विवेचन होता तो निर्णय अपीलांट के पक्ष में होता । भूमि पर अतिक्रमी काबिज है तो वह भूमि रिक्त नहीं मानी जायेगी । अतः आवंटी द्धारा आवंटन नियमों का पालना नहीं की है जबकि आवंटन के समय 50 प्रतिशत आराजी पर कब्जा लेना चाहिए ।

बहस में आगे कहा कि अपीलांट को जानकारी होने पर 14 (4) की अपील देरी से पेश की है क्योंकि वकील ने अपीलार्थी को सूचित नहीं किया । इसलिए अपील विलम्ब से पेश की गई है जिसे अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया । हमने शपथपत्र दिया है और काउन्टर में शपथपत्र नहीं है तो स्वीकार करना चाहिए ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है जिसे निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की और अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1982 पेज 237, 497 पैरा सी., आर.आर.टी. 2007 पेज 237, 1048, आर.आर.डी. 2005 पेज 21, आर. आर.डी. 2002 पेज 150 पैरा 9, आर.आर.सी. 1999 पेज 11, आर.आर.टी. 2011 पेज 602, आर. आर.डी. 1998 पेज 319, आर.आर.टी. 2001 पेज 1236 व 873 पेश किये ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अपील मियाद बाहर पेश की है तथा अपील मियाद के कोई उचित तथ्य भी अपीलांट ने दर्ज नहीं किये हैं । साबिक ख0 नं0 1432 रकबा 14.07 बीघा के हाल ख0 नं0 3256 रकबा 62 ऐयर है जो दि0 31.12.2000 को आवंटन हुई तथा आवंटन से पूर्व नियमानुसार घोषणा हुई । दि0 7.3.2001 की घटनाबही है तथा पटवारी हल्का ने मौके पर आवंटी को कब्जा दिलवाया है । पट्टा रेस्पो0 को दिया जिसकी फीस दी गई है तथा रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज है । सम्वत् 2059

से 2062 से हमारे नाम गैर खातेदारी है । इन्तकाल सं0 335 गैर खातेदारी उप तहसील मालाखेड़ा के आदेश से गैर खातेदारी लक्ष्मण व मैदा के नाम दर्ज हुई । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा अपीलांट विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । ख0 नं0 1432 रकबा 14.07 बीघा के अन्य हिस्से पर अपीलांट का कब्जा हो सकता है । दि0 9.11.2000 को पट्टा रेस्पो0 के पक्ष में मिला जिसका इन्तकाल सं0 335 दर्ज व तस्दीक है । वक्त आवंटन पटवारी हल्का ने किसी का कब्जा नहीं माना । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि0 15.09.2008 का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

विवादित आराजी रेस्पो0 को आवंटन हुई है, यह तथ्य रेकार्ड से साबित है । तहत न्यायालय ने अपीलांट की अपील को सही नहीं मानते हुए खारिज की है । अपीलांट को आवंटन खारिज कराने का अधिकार तहत न्यायालय ने नहीं माना है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध घटना बही की नकल से भी प्रमाणित है कि आवंटी को विधिवत् दखल दिया गया है तथा आवंटन कमेटी द्वारा राजस्थान–भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के सभी नियमों की आवंटी द्वारा पालना की गई थी । आवंटन के बाद अप्रार्थीगण को नियमानुसार दखल भी दिलाया गया है जो पटवारी हल्का बालेटा की घटना बही दिनांक 7.3.2001 से साबित होता है । अपीलांट द्वारा मुख्य तर्क यह लिया है कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त है तथा ऐसी स्थिति में आवंटन गलत है । विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि सरकारी जमीन पर विधि विरूद्ध तरीके से कोई कब्जा काश्त करता है तो वह उसके लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है । अपीलांट की यदि कोई काश्त रही भी होगी तो वह विधि विरूद्ध ही था । आवंटन से पूर्व उद्घोषणा की कार्यवाही में जमीन को कब्जा रहित माना जाता है । इसलिए हम तहत न्यायालय के निर्णय से सहमत है और अपीलांट की अपील सारहीन होने के काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 15.09.2008 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर